रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239191 CG-DL-E-28092022-239191

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653] No. 653] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. 19/2022 केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 734(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी होंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:
 - "(ज) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है;

6514 GI/2022 (1)

- (झ) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और दो कर अवधि के निरंतर समय के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।";
- 3. उक्त नियमों के नियम 36 में,-
- (क) उप-नियम (2) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, " और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई हैं " का लोप किया जाएगा:
- (ख) उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, "ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स" शब्दों के बाद, "जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे;
- 4. उक्त नियमों के नियम 37 में,-
- (क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(1) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन आपूर्तियों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस पर संदेय कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अविध के ठीक पश्चात् वाली कर अविध में, ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के तहत उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3B में करेगा:

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मुद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जायेगा।:

- (2) जहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की आपूर्ति के मूल्य की राशि का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को देय कर के साथ करता है, वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा। ";
- (ख) उप-नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा;
- 5. उक्त नियमों के नियम 38 में,-
- (क) खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, शब्द, अक्षरों और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर -2 में" का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) खंड (ग) में, शब्दों, अक्षरों और अंक के लिए, "और प्ररूप जीएसटीआर -2 में प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों, अक्षरों और अंक, "और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उत्क्रमित कर दी जाएगी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) खंड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;
- 6. उक्त नियमों के नियम 42 में, उप-नियम (1) में, खंड (छ) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, " प्ररूप जीएसटीआर -2 में बीजक स्तर पर और" का लोप किया जाएगा;
- 7. उक्त नियमों के नियम 43 में, उप-नियम (1) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर-2 और" दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा;
- 8. उक्त नियमों के नियम 60 में, उप-नियम (7) में, "स्वत: तैयार" शब्दों के स्थान पर, "स्वतः जनित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - 9. उक्त नियमों के नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 का लोप किया जाएगा;

- 10. उक्त नियमों के नियम 83 में, उप-नियम (8) में, खंड (क) में, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- 11. उक्त नियमों के नियम 85 में, उप-नियम (2) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;
- 12. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (1) में,-
- (क) शब्दों " कोई व्यक्ति, जो " के बाद, शब्द, कोष्ठक और अंक " धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में किसी भी शेष राशि का, या " को अतः स्थापित किया जाएगा;
- (ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (ग) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी" शब्दों के स्थान पर, शब्दों "परंतु" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) तीसरे परंतुक में, "परन्तु यह भी" शब्दों के स्थान पर, शब्दों "परन्तु यह और भी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 13. उक्त नियमों के नियम 96 में, उपनियम (3) में शब्दों, अक्षरों और अंकों " प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जैसा भी मामला हो" के स्थान पर, अक्षरों और अंक, " प्ररूप जीएसटीआर-3ख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 14. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1क, प्ररूप जीएसटीआर-2 और प्ररूप जीएसटीआर-3 का लोप किया जाएगा;
- 15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में, भाग-क में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, "गतिविधियों की सूची" शीर्षक के तहत, शब्दों "और आवक" का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी] राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 5 जुलाई, 2022 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 517(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 द्वारा किये गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 19/2022-Central Tax

- **G.S.R. 734(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —
- **1**. **Short title and commencement**. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2022.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect from the 1st day of October, 2022.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (herein after referred to as the said rules), in rule 21, after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - "(h) being a registered person required to file return under subsection (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;

- (i) being a registered person required to file return under proviso to subsection (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods.";
- 3. In rule 36 of the said rules,—
 - (a) in sub-rule (2), the words, letters and figure, ", and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in FORM GSTR-2 by such person" shall be omitted;
 - (b) in sub-rule (4), in clause (b), after the words, "the details of", the words, "input tax credit in respect of" shall be inserted;
- 4. In rule 37 of the said rules,—
 - (a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
 - "(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, but fails to pay to the supplier thereof, the amount towards the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section(2) of section 16, shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50, while furnishing the return in FORM GSTR-3B for the tax period immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in <u>Schedule I</u> of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16:

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.;

- (2) Where the said registered person subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon to the supplier thereof, he shall be entitled to re-avail the input tax credit referred to in sub-rule (1).";
- (b) sub-rule (3) shall be omitted;
- 5. In rule 38 of the said rules,—
 - (a) in clause (a), in sub-clause (ii), the word, letters and figure, "in FORM GSTR-2" shall be omitted;
 - (b) in clause (c), for the words, letters and figure, "and shall be furnished in FORM GSTR-2", the words, letters and figure, "and the balance amount of input tax credit shall be reversed in FORM GSTR-3B" shall be substituted;
 - (c) clause (d) shall be omitted;
- 6. In rule 42 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (g), the words, letters and figure, "at the invoice level in FORM GSTR-2 and" shall be omitted;
- 7. In rule 43 of the said rules, in sub-rule (1), the words, letters and figure, "FORM GSTR-2 and" at both the places where they occur, shall be omitted;
- 8. In rule 60 of the said rules, in sub-rule (7), for the words "auto-drafted", the words "auto-generated" shall be substituted;
- 9. rules 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 79 of the said rules shall be omitted;
- 10. In rule 83 of the said rules, in sub-rule (8), in clause (a), the words "and inward" shall be omitted;
- 11. In rule 85 of the said rules, in sub-rule (2),
 - (a) in clause (b), for the words "said person;", the words "said person; or" shall be substituted;
 - (b) clause (c) shall be omitted;
- 12. In rule 89, of the said rules, in sub-rule (1),
 - (a) after the words "claiming refund of", the words, brackets and figures "any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 or" shall be inserted;
 - (b) the first proviso shall be omitted;
 - (c) in the second proviso, for the words "Provided further that", the words "Provided that" shall be substituted;

- (d) in the third proviso, for the words "Provided also that", the words "Provided further that" shall be substituted;
- 13. In rule 96 of the said rules, in sub-rule (3), for the words, letters and figures, "FORM GSTR-3 or FORM GSTR-3B, as the case may be", the letters and figure, "FORM GSTR-3B" shall be substituted;
- 14. FORM GSTR-1A, FORM GSTR-2 and FORM GSTR-3 of the said rules shall be omitted;
- 15. In FORM GST PCT-05 of the said rules, in Part-A, in the table, against Sr. No.1, under the heading "List of Activities", the words, "and inward", shall be omitted.

[F.No.CBIC-20013/1/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended *vide* notification No. 14/2022 - Central Tax, dated the 5th July, 2022 *vide* number G.S.R. 517(E), dated the 5th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. 20/2022 केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 735(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए िक ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2020 केंद्रीय कर दिनांक 28 मार्च 2018 जिसे सा.का.िन. 309(अ) दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करती है।

[फा.सं. सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी राजीव रंजन. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 20/2022-Central Tax

G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations on the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.20/2018-Central Tax, dated the 28th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(i), vide number G.S.R. 309 (E), dated the 28th March, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No.CBIC-20013/1/2022-GST] RAJEEV RANJAN, Under Secy.